महत्वपूर्ण

संख्या-726 ई-2/तेरह-2005-85/2004

प्रेषक,

मनोज मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2

लखनऊ::दिनांक:: 09 मार्च, 2005

विषयः- वर्ष 2005-06 के लिये आबकारी नीति का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या- जी-290/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2005-06 दिनांक 24 फरवरी, 2005 तथा जी-291/दस-लाइसेंस-69/देशी मदिरा मूल्य निर्धारण/2005-06 दिनांक 24 फरवरी, 2005 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त वर्ष 2005-06 के लिये आबकारी नीति के सम्बन्ध में जनहित में लिये गये निम्नलिखित निर्णयों को सूचित करने के लिये मुझे निर्देश हुए हैं:-

दुकानों का व्यवस्थापनः-

(I) वर्ष 2005-06 के लिये आबकारी की समस्त दुकानों (देशी/विदेशी मदिरा एवं बियर) का व्यवस्थापन, नियमावली में विद्यमान प्राविधानों के अनुसार नवीनीकरण/सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जाएगा।

(II) जिन दुकानों का व्यवस्थापन नवीनीकरण के माध्यम से नहीं हो पाएगा, उनका तथा नव-सृजित दुकानों का व्यवस्थापन गत वर्ष 2004-05 की भांति सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जाएगा। नवीनीकरण एवं सार्वजनिक लाटरी हेतु प्रति प्रार्थनापत्र शुल्क एवम् प्रॉसेसिंग शुल्क के रूप में रू0 2000/- देय होगा।

(III) नवीनीकरण केवल उसी दशा में अनुमन्य होगा, जबकि अनुज्ञापी द्वारा वर्ष 2004-05 के अवशेष सभी बकायों का भुगतान कर दिया गया हो।

(IV) भांग की दुकानों का व्यवस्थापन पूर्व की भांति उत्तर प्रदेश आबकारी लाइसेंस (टेण्डर एवं नीलाम) नियमावली, 1991 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत नीलाम प्रणाली से कराया जाए।

—2

09.03.05

3- देशी मदिरा

(3.1) न्यूनतम प्रत्याभूत मात्राः-

वर्ष 2004-05 में वर्तमान दुकानों में देशी मदिरा की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा 36 प्रतिशत वी/वी के टर्म में 17.28 करोड़ बल्क लीटर व्यवस्थापित है, जिसमें दुकानों की प्रास्थिति के अनुसार निम्नानुसार वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया हैः-

क्रमांक	निकाय	एम0जी0क्यू0 में प्रस्तावित वृद्धि (प्रतिशत में)
1.	नगर निगम	10 प्रतिशत
2.	नगर पालिका	10 प्रतिशत
3.	नगर पंचायत	8 प्रतिशत
4.	ग्रामीण क्षेत्र	5 प्रतिशत

आप द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देशी मदिरा की वर्तमान दुकानों के कोटे में वृद्धि से वर्तमान कोटे-17.28 करोड़ ब0ली0 में 1.55 करोड़ लीटर की वृद्धि होगी। अर्थात वर्तमान दुकानों के लिये अगले वर्ष की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा 18.83 करोड़ ब0ली0 (36 प्रतिशत वी/वी के टर्म में) हो जाएगी। अतः नवसृजित दुकानों का कोटा उक्त 18.83 करोड़ बल्क लीटर के अतिरिक्त होगा।

उपरोक्तानुसार देशी मदिरा की वर्तमान दुकानों, जिनकी संख्या-10,801 बताई गई है, के कोटे में वृद्धि करते हुए उनका व्यवस्थापन निम्न प्रक्रिया के अनुसार किया जाएः-

(क) प्रथम चरण में दुकानों के वर्तमान एम0जी0क्यू0 में उपरोक्तानुसार वृद्धि करते हुए नवीनीकरण कराने का आफर वर्तमान अनुज्ञापियों को दिया जाएगा।

(ख) द्वितीय चरण में नवीनीकरण से अवशेष दुकानों के कोटे में यथावत् वृद्धि पर ही आवेदनपत्र आमंत्रित कर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से दुकानों का व्यवस्थापन कराया जाएगा।

(ग) शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार दुकानों के लिये निर्धारित कोटे में किसी भी दशा में कमी नहीं की जाएगी।

(घ) नवीनीकरण एवं सार्वजनिक लाटरी हेतु प्रत्येक प्रार्थनापत्र पर एवं प्रॉसेसिंग फीस के रूप में रू0 2000/- का शुल्क लिया जाएगा।

(च) देशी मदिरा की दुकानों के लिये नवीनीकरण फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः-

1. नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिये रू0 12,000/- प्रति दुकान।
2. नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिये रू0 10,000/- प्रति दुकान।
3. नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिये रू0 7,000/- प्रति दुकान।
4. ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिये रू0 4,000/- प्रति दुकान।

09.3.05

(3.2) <u>बेसिक लाइसेंस फीस एवं प्रतिफल शुल्कः-</u>

वर्ष 2004-05 हेतु निर्धारित देशी मदिरा की बेसिक लाइसेंस फीस की दर रू0 10/- प्रति बल्क लीटर तथा प्रतिफल शुल्क की दर रू0 79/- प्रति बल्क लीटर वर्ष 2005-06 में भी यथावत् रखने का निर्णय लिया गया है।

(3.3) <u>देशी मदिरा की श्रेणियां एवं मूल्य निर्धारणः-</u>

वर्तमान वर्ष 2004-05 में देशी मदिरा की प्रचलित सभी 4 श्रेणियों:- 42.8 प्रतिशत वी/वी, 36 प्रतिशत वी/वी, 25 प्रतिशत वी/वी तथा 20 प्रतिशत वी/वी को वर्ष 2005-06 में यथावत् रखने का निर्णय लिया गया है।

उक्त चारों श्रेणियों के थोक व फुटकर विक्रय मूल्य संलग्नक-1 (हस्ताक्षरित) के अनुसार निर्धारित किया जाए।

(3.4) <u>देशी मदिरा की आपूर्तिः-</u>

देशी मदिरा की आपूर्ति वर्ष 2004-05 की भांति वर्ष 2005-06 में भी सी0एल0-2 के माध्यम से कराई जाएगी तथा सी0एल0-2 की लाइसेंस फीस रू0 5 लाख प्रति वर्ष के स्थान पर रू0 10 लाख प्रति वर्ष होगी।

(3.5) <u>देशी मदिरा की नई दुकानों का सृजनः-</u>

आबकारी आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह वर्तमान दुकानों की संख्या के 10 प्रतिशत तक देशी मदिरा की नई दुकानें सृजित कर सकते हैं एवम् नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन नवीनीकरण से अवशेष दुकानों के साथ एवं वर्ष के प्रारम्भ में ही सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जाए।

(3.6) <u>हाई ग्रेड (100 माइक्रान) की पॉली फिल्म से निर्मित बोतलों में देशी शराब की भराई :-</u>

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपके द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया है कि उक्त पॉली फिल्म से निर्मित बोतल में देशी मदिरा की आपूर्ति करने से पूर्व आपूर्तिकर्ता द्वारा केन्द्र व राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग से अनुमति प्राप्त की जाएगी। तदोपरान्त उसके प्रयोग की अनुमति पर परीक्षणोपरान्त उच्चादेश प्राप्त करने पर विचार किया जाएगा।

(3.7) <u>देशी शराब निर्यात पास फीसः-</u>

शीरे की कमी एवं उत्तर प्रदेश में मदिरा की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित् करने की दृष्टि से देशी शराब की वर्ष 2004-05 में प्रचलित निर्यात पास फीस रू0 2/- प्रति अल्कोहल लीटर (per litre of Alcohol) के स्थान पर वर्ष 2005-06 में रू0 10/- प्रति अल्कोहल लीटर (per litre of Alcohol) लिया जाए।

09/3/05

4. विदेशी मदिरा

(4.1) विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापन उनकी वार्षिक लाइसेंस फीस में उनकी प्रास्थिति के अनुसार निम्नानुसार वृद्धि करके प्रथम विकल्प के रूप में नवीनीकरण के माध्यम से किया जाएगा :-

क. नगर निगम क्षेत्र की दुकानों की लाइसेंस फीस में 15 प्रतिशत।

ख. नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों की लाइसेंस फीस में 15 प्रतिशत।

ग. नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों की लाइसेंस फीस में 12 प्रतिशत।

घ. ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों की लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत।

प्रतिबन्ध यह होगा कि जो दुकान इस वर्ष जिस श्रेणी में है, वह उसी श्रेणी में ही अथवा उसके ऊपर की श्रेणी की लाइसेंस फीस में बिक्री के आधार पर नवीनीकरण के लिये अनुमन्य होगी। किसी भी दुकान का नवीनीकरण उसकी वर्तमान श्रेणी से निम्न श्रेणी में नहीं किया जाएगा। नवीनीकरण से अवशेष दुकानों का व्यवस्थापन बढ़ी हुई लाइसेंस फीस पर तथा नव-सृजित दुकानों का व्यवस्थापन नियत् लाइसेंस फीस पर आवेदनपत्र मांगकर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जाएगा।

(4.2) विदेशी मदिरा की दुकानों की नवीनीकरण फीस निम्नानुसार निर्धारित की गई है:-

क. नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिये रू0 22,000/- प्रति दुकान।

ख. नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिये रू0 16,000/- प्रति दुकान।

ग. नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिये रू0 11,000/- प्रति दुकान।

घ. ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिये रू0 4,000/- प्रति दुकान।

नवीनीकरण एवं लाटरी हेतु व्यवस्थापन के लिये प्रत्येक आवेदनपत्र एवं उस पर प्रॉसेसिंग फीस के रूप में रू0 2,000/- लिया जाएगा।

(4.3) विदेशी मदिरा पर प्रतिफल शुल्क एवं मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में आप द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार विदेशी मदिरा की सभी 10 श्रेणियों को यथावत् रखते हुए केवल प्रीमियम बीटा, प्रीमियम अल्फा, सुपर प्रीमियम एवं स्कॉच श्रेणी की विदेशी मदिरा की प्रतिफल फीस में निम्नानुसार वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

श्रेणी	वर्ष 2004-05 में प्रतिफल फीस		वर्ष 2005-06 में प्रतिफल फीस	
	प्रति लीटर	प्रति बोतल	प्रति लीटर	प्रति बोतल
प्रीमियम बीटा	256/-	192/-	272/-	204/-
प्रीमियम अल्फा	284/-	213/-	300/-	225/-
सुपर प्रीमियम	376/-	282/-	392/-	294/-
स्कॉच	464/-	348/-	480/-	360/-

विदेशी मदिरा के मूल्य निर्धारण का फार्मूला गत वर्ष की भांति यथावत् रहेगा।

5 — 7/3/05

(4.4) विदेशी मदिरा की आपूर्ति पूर्व की भांति एफ0एल0-2 के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा एफ0एल0-2 की वार्षिक लाइसेंस फीस भी यथावत् रू0 5 लाख रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(4.5) विदेशी मदिरा पर आयात शुल्क तथा विदेशी मदिरा की बोतल भराई शुल्क को आपके प्रस्तावानुसार यथावत् रखने का निर्णय लिया गया है।

(4.6) आसवनियों में देशी/विदेशी मदिरा एवं सी0एस0डी0 कैन्टीन की आपूर्ति के लिये मदिरा की बोतल भराई अलग-अलग कक्ष में किये जाने के प्राविधान पर आप द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त युक्ति-युक्त शर्तों के अधीन आसवनियों की मांग पर देशी/विदेशी मदिरा एवं सी0एस0डी0 कैन्टीन को आपूर्ति की जाने वाली मदिरा की बोतल भराई एक ही कक्ष में करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

(4.7) वाइन पर आयात शुल्क, कम तीव्रता के मादक पेय पर निर्यात शुल्क, अन्य प्रान्तों की कम तीव्रता के मादक पेय के लिये ब्राण्ड की सुविधा हेतु बाण्ड की लाइसेंस फीस को यथावत् रखने का निर्णय लिया गया है।

(4.8) इसी प्रकार विदेशी मदिरा की ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस, एफ0 एल0-1/एफ0एल0-1ए की लाइसेंस फीस, एफ0एल0-2ए की लाइसेंस फीस, बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए/2बी/2सी/2डी अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस तथा विदेशी मदिरा के लेबुलों की अनुमोदन फीस की वर्तमान दरों को भी यथावत् रखने का निर्णय लिया गया है।

(4.9) <u>विदेशी मदिरा की नई दुकानों का सृजन</u>:-

आबकारी आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वे विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की वर्तमान दुकानों की संख्या में 10 प्रतिशत तक वृद्धि करके नई दुकानें सृजित कर सकते हैं एवम् नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन नवीनीकरण से अवशेष दुकानों के साथ एवं वर्ष के प्रारम्भ में सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जाए।

5. <u>समुद्रपार से आयातित विदेशी मदिरा</u>:-

(5.1) समुद्रपार से आयातित विदेशी मदिरा की थोक व फुटकर बिक्री के लिये सृजित एफ0एल0-2डी की वार्षिक लाइसेंस फीस यथावत् रू0 50,000/- रखी जाए।

(5.2) समुद्रपार से आयातित विदेशी मदिरा के ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन का कोई प्राविधान वर्तमान में नहीं है। प्रदेश में समुद्रपार से आयातित विदेशी मदिरा की उपलब्धता सुनिश्चित् करने के लिये निर्णय लिया गया है कि ब्राण्ड का मालिक या अधिकृत

→ 6.Q. 9/3/.

प्रतिनिधि अपने ब्राण्डों का रजिस्ट्रेशन आबकारी आयुक्त से कराकर बिक्री कर सकता है। प्रत्येक ब्राण्ड की रजिस्ट्रेशन फीस रू0 10,000/- निर्धारित की जाए।

6. बियर:-

(6.1) बियर की फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापन प्रथम विकल्प के रूप में नवीनीकरण के माध्यम से तथा नवीनीकरण से अवशेष व नई दुकानों का व्यवस्थापन सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

(6.2) बियर की फुटकर बिक्री की दुकानों की नवीनीकरण फीस निम्नानुसार निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है:-

क. नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिये रू0 22,000/- प्रति दुकान,
ख. नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिये रू0 16,000/- प्रति दुकान,
ग. नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिये रू0 11,000/- प्रति दुकान, तथा
घ. ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिये रू0 4,000/- प्रति दुकान।

(6.3) नवीनीकरण हेतु प्रत्येक आवेदनपत्र एवं सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापित होने वाली दुकानों के लिये प्रत्येक आवेदनपत्र एवं प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में रू0 2,000/- लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

(6.4) बियर की दुकानों की लाइसेंस फीस :-

वर्ष 2005-06 में बियर की फुटकर बिक्री की दुकानों की लाइसेंस फीस में उनकी प्रास्थिति के अनुसार निम्नवत् वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

क्रमांक	निकाय	लाइसेंस फीस में प्रस्तावित वृद्धि (प्रतिशत में)
1.	नगर निगम	15 प्रतिशत
3.	नगर पालिका	15 प्रतिशत
2.	नगर पंचायत	12 प्रतिशत
3.	ग्रामीण क्षेत्र	10 प्रतिशत

बियर की दुकानों की लाइसेंस फीस के सम्बन्ध में शेष प्राविधान पूर्ववत् रहेंगे। बियर की दुकानों का नवीनीकरण उपरोक्तानुसार बढ़ी हुई लाइसेंस फीस पर उनकी बिक्री के अनुसार जिस श्रेणी में आएंगी, उसी श्रेणी में किया जाएगा, किन्तु वर्तमान श्रेणी से निम्न श्रेणी में किसी भी दुकान का व्यवस्थापन किसी भी दशा में नहीं किया जाएगा। नवीनीकरण से अवशेष दुकानों का व्यवस्थापन उसी लाइसेंस फीस पर, जिस पर नवीनीकरण होना था, आवेदनपत्र मांगकर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जाएगा। नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन उनकी लाइसेंस फीस घोषित करते हुए सार्वजनिक लाटरी द्वारा किया जाएगा।

9/3/05

(6.5) बियर पर निर्यात शुल्क, बियर, पोर्टर, साइडर, एल एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर आयात शुल्क, बोतल भराई शुल्क की वर्तमान दरों को यथावत् रखने का निर्णय लिया गया है।

(6.6) बियर, पोर्टर, साइडर, एल एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर प्रतिफल शुल्क की वर्तमान दर को यथावत् रखने का निर्णय लिया गया है तथा उनके मूल्य का निर्धारण गत वर्षों की भांति यथावत् आबकारी आयुक्त द्वारा किया जाएगा।

(6.7) बियर की फुटकर बिक्री की दुकानों की संख्या में वृद्धि:-
आबकारी आयुक्त को यह अधिकार होगा कि बियर की वर्तमान दुकानों की संख्या में 10 प्रतिशत तक की वृद्धि करके नई दुकानें सृजित कर सकते हैं, किन्तु नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन नवीनीकरण से अवशेष दुकानों के साथ एवं वर्ष के प्रारम्भ में ही किया जाए।

(6.8) बियर के थोक लाइसेंस- एफ0एल0-2बी की वार्षिक लाइसेंस फीस यथावत् रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(6.9) बियर के लेबुलों का अनुमोदन :-
बियर के लेबुलों का अनुमोदन यथावत् फीस पर यथावत् रखने का निर्णय लिया गया है।

7. प्रदेश में अभी ड्राट बियर का प्रचलन नहीं है। इसको प्रोत्साहित करने के लिये वर्ष 2004-05 में निम्नलिखित प्राविधान किये गये थे:-

(7.1) ड्राट बियर पर प्रतिफल शुल्क:-
उत्तर प्रदेश में ड्राट बियर पर अलग से कोई प्रतिफल शुल्क लिये जाने का प्राविधान नहीं है। बियर के समान ही प्रतिफल शुल्क लिये जाने की व्यवस्था है, अतः माइल्ड व स्ट्रांग ड्राट बियर पर बियर के समान ही प्रतिफल शुल्क लिया जाए।

(7.2) ड्राट बियर पर आयात शुल्क
प्रदेश में ड्राट बियर का प्रयोग बहुत सीमित मात्रा में उत्तर प्रदेश में होता है, अतः इसको प्रोत्साहित करने के लिये वर्ष 2004-05 में इसे आयात शुल्क से मुक्त रखने का निर्णय लिया गया था। ड्राट बियर का प्रचलन अभी भी सीमित मात्रा में ही हो रहा है, अतः वर्ष 2005-06 में भी इसे आयात शुल्क से मुक्त रखने का निर्णय लिया गया है।

(7.3) ड्राट बियर पर ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन एवं लेबुल अनुमोदन शुल्क:-
ड्राट बियर को प्रोत्साहित करने के लिये इसे ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन एवं लेबुल अनुमोदन शुल्क से मुक्त रखा गया है, जिसे वर्ष 2005-06 में यथावत् रखने का निर्णय लिया गया है।

— 8 9/3

है, अतः माइल्ड व स्ट्रांग ड्राट बियर पर बियर के समान ही प्रतिफल शुल्क लिया जाए।

(7.2) ड्राट बियर पर आयात शुल्क

प्रदेश में ड्राट बियर का प्रयोग बहुत सीमित मात्रा में उत्तर प्रदेश में होता है, अतः इसको प्रोत्साहित करने के लिये वर्ष 2004-05 में इसे आयात शुल्क से मुक्त रखने का निर्णय लिया गया था। ड्राट बियर का प्रचलन अभी भी सीमित मात्रा में ही हो रहा है, अतः वर्ष 2005-06 में भी इसे आयात शुल्क से मुक्त रखने का निर्णय लिया गया है।

(7.3) ड्राट बियर पर ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन एवं लेबुल अनुमोदन शुल्कः-

ड्राट बियर को प्रोत्साहित करने के लिये इसे ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन एवं लेबुल अनुमोदन शुल्क से मुक्त रखा गया है, जिसे वर्ष 2005-06 में यथावत् रखने का निर्णय लिया गया है।

(7.4) बियर, वाइन, कम तीव्रता के मादक पेय के ब्राण्डों का रजिस्ट्रेशनः-

वर्ष 2004-05 में पहली बार बियर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की ब्राण्डवार रजिस्ट्रेशन फीस क्रमशः 10,000/-, 5,000/- एवं 3,000/- रूपये प्रति ब्राण्ड लिये जाने का प्राविधान किया गया है, जिसे वर्ष 2005-06 में भी यथावत् रखने का निर्णय लिया गया है।

8. मॉडल शापः-

(8.1) मॉडल शाप की दुकानों का व्यवस्थापनः-

मॉडल शाप की वर्तमान दुकानों का नवीनीकरण किया जाएगा, जिसके लिये कोई नवीनीकरण फीस नहीं ली जाएगी, केवल आवेदनपत्र एवं उसकी प्रॉसेसिंग फीस के रूप में रू0 2,000/- प्रत्येक आवेदनपत्र लिया जाएगा।

नई माडल शाप्स का व्यवस्थापन पूर्व शर्तो एवं प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

(8.2) माडल शाप्स की लाइसेंस फीसः-

माडल शाप्स की लाइसेंस फीस की वर्तमान दरों को यथावत् रखने का निर्णय लिया गया है।

आबकारी आयुक्त द्वारा यह सुनिश्चित् किया जाएगा कि वर्ष 2005-06 में अधिकाधिक माडल शाप्स खुलें। गत वर्ष का अनुभव रहा है कि माडल शाप्स हेतु प्रार्थनापत्र जिलाधिकारी स्तर पर लम्बित रहते हैं और उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, जिससे आबकारी राजस्व की हानि होती है। अतः नियमावली में प्राविधान के अनुसार निर्धारित समय के अन्दर जिलाधिकारी द्वारा प्रार्थनापत्र पर निर्णय न लेने की स्थिति में शासन को अवगत कराया जाए, ताकि इसे उच्च स्तर पर संज्ञान में लाया जा सके।

९ ९/३

(8.3) सत्र के मध्य में नई दुकानें खोलने का अधिकार:-
माडल शाप्स खोलने की प्रक्रिया वर्ष-पर्यन्त चलेगी।

9. भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर कर एवं निबन्धन विभाग द्वारा प्रवेश कर का आरोपण न करने से होने वाली राजस्व हानि की भरपाई के लिये सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि कम से कम 50 नई माडल शाप्स खोलकर अतिरिक्त राजस्व अर्जन किया जाए।

10. अन्य आदेश :-

(10.1) ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जो उत्तर प्रदेश में विगत 10 वर्षों से स्थापित हैं, को किसी आसवनी में शीरा उपलब्ध कराकर अल्कोहल का उत्पादन कराने के सम्बन्ध में आप द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ऐसी औद्योगिक इकाईयों, जो प्रदेश में विगत 10 वर्षों से स्थापित और उनकी वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता 250 लाख लीटर वार्षिक है, को यह सुविधा आबकारी आयुक्त द्वारा गुण-दोष के आधार पर दी जाएंगी, किन्तु आबकारी आयुक्त द्वारा यथा प्रस्ताव सुनिश्चत् किया जाएगा कि ऐसा करने पर राजस्व क्षति न होने पाए।

(10.2) बार लाइसेंस की फीस में वृद्धि:-
बार लाइसेंस की फीस में वृद्धि किये जाने के आपके प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक प्रकार के बार लाइसेंस की फीस में रू0 10,000/- की वृद्धि की जाए।

(10.3) शीरा:-
देशी मदिरा के लिये आरक्षित 20 प्रतिशत शीरे में से देशी मदिरा के निर्माण से जो शीरा अवशेष बचेगा, उसका आबण्टन विदेशी मदिरा का निर्माण करने वाली प्रदेश की उन आसवनियों के लिये किया जाएगा, जो एफ0एल0-3 के अन्तर्गत प्रदेश में विदेशी मदिरा का उत्पादन करेंगी।

(10.4) देशी मदिरा के मूल्य निर्धारण हेतु शीरे के औसत मूल्य का बैण्ड 150/- रूपया प्रति कुण्टल के स्थान पर रू0 100/- प्रति कुण्टल निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। शीरे के मूल्य में औसतन 100/- रूपये की वृद्धि या कमी होने पर देशी मदिरा के थोक व फुटकर विक्रय मूल्य पर पुनर्विचार किया जाएगा तथा शीरे के मूल्य की त्रैमासिक समीक्षा आबकारी आयुक्त द्वारा की जाएगी।

— 10 [signature] 9/3/15

(10.5) व्यक्तिगत उपभोग हेतु कब्जे में अपने आवास पर मादक पदार्थ रखने की सीमा:-

वर्तमान आबकारी नीति उपभोग पर आधारित है तथा वर्तमान आबकारी नीति के अन्तर्गत विदेशी मदिरा एवं बियर की 100 से अधिक ब्राण्ड उपलब्ध हैं, अतः यदि एक व्यक्ति को एक से अधिक ब्राण्ड की आवश्यकता है, तो उसे नियमों में प्राविधान न होने के कारण, रखने का अधिकार नहीं है। मदिरा की सभी प्रकार की बोतलों पर अधिकर भुगतान के प्रमाण स्वरूप सुरक्षा होलोग्राम लगा होता है, इस कारण इस अनुमति की आड़ में कोई व्यक्ति बिना अधिकर का भुगतान की हुई तस्करी करके लाई गई मदिरा नहीं रख सकता। अतः आबकारी आयुक्त के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त विदेशी मदिरा, बियर, वाइन को क्रय करने, परिवहन करने एवं संग्रहण करने के लिये निम्नानुसार अनुमति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

क्रमांक	मादक पदार्थ का नाम	वर्तमान	प्रस्तावित
1.	देशी शराब (मसाला)	1.50 लीटर	प्रत्येक तीव्रता की
	देशी शराब (सादा)	1.50 लीटर	1.5 लीटर
2.	विदेशी मदिरा	1.50 लीटर	03 लीटर
3.	बियर	2.60 लीटर	06 लीटर
4.	वाइन	1.50 लीटर	03 लीटर
5.	भांग	120 ग्राम	120 ग्राम

(10.6) भांग की दुकानों का व्यवस्थापन गत वर्ष की भांति यथावत् नीलामी से कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

11. वर्ष 2005-06 में आबकारी राजस्व का लक्ष्य:-

वर्ष 2005-06 के लिये आप द्वारा निम्नानुसार राजस्व प्राप्ति का अनुमान संसूचित किया गया है :-

			करोड़ रू0 में
1.	देशी शराब-	प्रतिफल फीस, लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियां	1680.00
2.	विदेशी मदिरा-	प्रतिफल फीस, लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियां	950.00
3.	बियर -	प्रतिफल फीस, लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियां	170.00
4.	अन्य मद-		200.00
		योग- (तीन हजार करोड़ रूपये)	3000.00

आपके उपर्युक्त अनुमान पर सम्यक् विचारोपरान्त वर्ष 2005-06 के लिये आबकारी राजस्व का लक्ष्य रू0 3200 करोड़ निर्धारित किया जाता है। तदनुसार उपरोक्त अनुमान में संशोधन करते हुए मदवार लक्ष्य पुनर्निर्धारित कर रू0 3200 करोड़ की प्राप्ति सुनिश्चित् की जाए।

— ह0
9/3

राजस्व प्राप्ति के लिये कार्य-योजना बनाकर शासन को दिनांक 15 अप्रैल, 2005 तक उपलब्ध करा दिया जाए।

12. देशी/विदेशी मदिरा एवं बियर की दुकानों के व्यवस्थापन एवं आपूर्ति आदि के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों के अतिरिक्त अन्य प्राविधान यथावत् रहेंगे।

13. प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने हेतु आबकारी विभाग द्वारा नियमित रूप से प्रवर्तन की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित् की जाए। आबकारी आयुक्त द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2005 के पूर्व जनपदवार/दुकानवार/माहवार वर्ष 2005-06 में लाइसेंस फीस एवं सिक्योरिटी के रूप में अनुमानित धनराशि तथा उसके सापेक्ष प्राप्त होने वाली धनराशि का विवरण उपलब्ध कराया जाए। इस मद में प्राप्तियों का सत्यापन ट्रेजरी से कराया जाए।

14. मदिरा की तस्करी एवं अवैध मद्य-निष्कर्षण को रोकने हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा वर्ष 2005-06 में विशेष प्रयास किया जाए तथा इस हेतु स्थापित 29 चेक पोस्टों एवं 10 सचल दस्तों तथा जनपदों में तैनात प्रवर्तन स्टाफ को विशेष रूप से सक्रिय किया जाए। पकड़े गये अभियोगों की मासिक समीक्षा कर उसकी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जाए।

15. उपरोक्तानुसार कार्यान्वयन सुनिश्चित् करने हेतु जिन अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं में संशोधन/परिवर्धन/अपमार्जन की कार्यवाही अथवा नये नियम/नियमावलियों तथा अधिसूचनाओं का प्रख्यापन किया जाना हो, उनका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके 31 मार्च, 2005 से पूर्व प्रख्यापन कराया जाना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित् किया जाए। जिन अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं का संशोधन/परिवर्धन/अपमार्जन शासन स्तर से किया जाना है, उनका प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में अवश्य उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि समय से आगामी कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

01/03/05

(मनोज मिश्र)
संयुक्त सचिव।